



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. रामजी पांचाल पुत्र नन्दराम नि० अमीटा थाना एट जनपद जालौन 2. कृष्ण पांचाल पुत्र लालता प्रसाद नि० कुसमरा थाना कोतवाली जालौन द्वारा वादी की बहन के साथ की गयी घटना के संबन्ध में थाना डकोर में मु०अ०सं० 55/2017 (वाद संख्या – 25/2017) धारा 363/366/376 भादवि व ३/४ व 7/8 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुये दिनांक 23.08.2023 को मा० न्यायालय पाक्सो कोर्ट उरई जालौन द्वारा अभियुक्त . रामजी पांचाल उपरोक्त को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 03.03.2017 को अभियोग पंजीकृत हुआ था, माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 06 वर्ष 05 माह में) अभियुक्तगण को दण्डित किया गया।

नोट:- अभि० कृष्ण पांचाल उपरोक्त को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया।



ADGC क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुरजर



कोर्ट पैरोकार राजकुमार



अभि० रामजी पांचाल

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police